दिनाँक 11/01/24 को थाना सेलाकुई पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए 04 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, खुखरी, एटीएम कार्ड्स तथा नकबजनी की घटना को अजांम देने के लिए लाया गया आलानकब किया बरामद।

दिनांक 10/01/24 की रात्रि थाना सेलाकुई पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि खाटू श्याम मंदिर के पीछे एक वर्ना गाड़ी खडी है, जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर खाटू श्याम मन्दिर के पीछे एक वरना गाड़ी खड़ी थी तथा पास में ही गन्ने के खेत से कुछ व्यक्तियों की आपस में बात करने की आवाज आ रही थी, जो सेलाकुई बाजार में ज्वेलरी शॉप तथा एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मौके पर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों को शक होने पर पकड़ लिया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 अवैध खुखरी, 03 कारतूस, आला नकब तथा अलग-अलग बैंकों के 34 एटीएम कार्ड बरामद हुये। बरामद एटीएम कार्डो के सम्बंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा उक्त एटीएम कार्डो को अलग-अलग व्यक्तियों से ठगी कर प्राप्त करना बताया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना सेलाकुई में मु0अ0सं0- 05/24 , धारा 401 भादवि तथा 3/4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त राहुल खान द्वारा बताया गया कि वे सभी गिरोह के रूप में काम करते हुए एटीएम ठगी, चोरी तथा अन्य आपराधिक घटनाओं को अजांम देते है। अभियुक्त द्वारा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा अन्य प्रान्तों में भी एटीएम ठगी एंव अन्य आपराधिक घटनाओं को अजांम दिया गया है, जिसके सम्बंध में उनके विरूद्ध सम्बन्धित राज्यों में धोखाधडी, आर्म्स एक्ट व अन्य आपराधिक घटनाओं के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त राहुल खान व उसके सहयोगियों के विरूद्ध राजस्थान में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अभियोग पंजीकृत है, जिसमें उक्त सभी अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके है। पुलिस द्वारा सम्बन्धित राज्यों से अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की विस्तृत जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- राहुल खान पुत्र खुर्शीद, निवासी मेहरौला थाना रोजकामऊ, जिला मेवात हरियाणा, उम्र 29 वर्ष

2- रिजवान पुत्र वारिस निवासी ग्राम डोज थाना सेक्टर 55, जिला फरीदाबाद, हरियाणा उम्र 22 वर्ष

3- नसीम अहमद पुत्र हजारुद्दीन निवासी ग्राम मेहरौला थाना रोजकामऊ, जिला मेवात, हरियाणा उम्र 32 वर्ष

4- तारिक हुसैन पुत्र हारून मेहरौला थाना रोजकामऊ, जिला मेवात हरियाणा उम्र 29 वर्ष

विवरण बरामदगी-

(1)- अभियुक्त राहुल खान
एक तमंचा 12 बोर,
03 जिंदा कारतूस,
18 एटीएम कार्ड

(2)- अभियुक्त रिजवान
एक नाजायज खुखरी
16 एटीएम कार्ड

(3)- अभियुक्त तारीक हुसैन
एक आला नकब

(4)- अभियुक्त नसीम अहमद

एक आलानकब
(5)- एक वर्ना गाड़ी नंबर- HR 26 EU-2454

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 शैंकी कुमार, थानाध्यक्ष सेलाकुई
2. उपनिरीक्षक रतन सिंह बिष्ट, थाना सेलाकुई
3. अपर उपनिरीक्षक सोहन सिंह, थाना सेलाकुई
4. कांस्टेबल बृजेश रावत
5. कांस्टेबल मुकेश कुमार

एसओजी टीम

1-निरीक्षक मुकेश त्यागी, प्रभारी एसओजी ग्रामीण
2-उप निरीक्षक दीपक धारीवाल
3-कांस्टेबल नवीन कोहली
4-कांस्टेबल जितेंद्र।